कार्यालय सामान्य वनमण्डल विदिशा

ई–मेल- dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष– 07592- 232967, फैक्स– 236976

–: थर्मल ड्रोन कैमरा का क्रय से संबंधित बिड नियम व शर्तेः–

1. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत (बी.ओ.क्यू.) में दरों को अंको तथा शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाये। कटिंग एवं ओवर राइटिंग की निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. फर्म/कम्पनी/संस्था को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी उद्यम का सर्टिफिकेट की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. फर्म/कम्पनी/संस्था आदि द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का भुगतान सामग्री की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरांत ही निर्धारित जी.एस.टी. आयकर एवं अन्य करों की कटौती के उपरांत ही किया जायेगा।
4. सामग्री क्रय की मात्रा घट बढ सकती है, जिसके लिये निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
5. उक्त सामग्री की आपूर्ति बजट आवंटन पर निर्भर है तथा सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढाई जा सकती है।
6. बिड/निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डल अधिकारी विदिशा के पास सुरक्षित होगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में वनमण्डल अधिकारी विदिशा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय जिला विदिशा रहेगा।
9. जेम पोर्टल पर बिड/निविदा के साथ नियमानुसार 05 प्रतिशत की ई.एम.डी./जमानत की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं निविदा फार्म का मूल्य अलग से वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल विदिशा के नाम से देय होगा वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल विदिशा कार्यालय में निविदा खुलने के पूर्व मूल प्रति में प्राप्त होना अनिवार्य है अन्यथा उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता को जेम पोर्टल पर निम्नलिखित अभिप्रमाणित प्रपत्रों को स्कैन कर क्रमानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
    1. फर्म/कम्पनी/संस्था का पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
    2. पैन कार्ड की छायाप्रति।
    3. आधार कार्ड की छायाप्रति।
    4. एम.एस.एम.ई. में रस्ट्रिेशन होने का प्रमाण–पत्र।
    5. विगत तीन वर्षो की ऑडिटेड बैलेंस शीट की छायाप्रति।
    6. फर्म/कम्पनी/संस्था को किसी भी देश तथा प्रदेश के किसी सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचीबद्ध न किये जाने का शपथ पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति कार्यालय में रजिस्टर डाक द्वारा तकनीकी निविदा खुलने से पहले उपलब्ध करानी होगी।
    7. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र।
11. फर्म/कम्पनी/संस्था आदि का विगत 02 वर्षो में किसी भी शासकीय विभाग में सम्बंधित सामग्री आपूर्ति करने संबंधी कार्यादेश पत्रों की छायाप्रति।
12. उक्त नियमों व शर्तो के अतिरिक्त जेम पोर्टल पर बिड में दर्शायी गयी शर्तो एवं विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज अपलोड किया जाये।

(हेमन्त यादव)
भा.व.से.
वन मण्डल अधिकारी,
सामान्य, वन मण्डल विदिशा

F:\Y-W-DACUMENTS\2025\Latter\03-March.doc35

Scanned by CamScanner